न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–03 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।		राजाराम चौधरी पुत्र श्री दुर्गाराम चौधरी, जाति सीरवी, निवासी बेरा मिठानिया, ग्राम शेखावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से तहसीलदार लूणी स्वयं उपस्थित ।
2. अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित ।

आदेश

दिनांक :– 12-03-2022

पत्रावली आज पेश हुई । संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार लूणी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध ग्राम शिकारपुरा, पटवार मंडल कांकाणी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 453 / 3 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वांसी किस्म बारानी चतुर्थ के खातेदार राजाराम चौधरी पुत्र श्री दुर्गाराम चौधरी(सीरवी) निवासी बेरा मिठानिया, ग्राम शेखावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के नाम खातेदारी भूमि दर्ज हैं । पटवारी हल्का कांकाणी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत करवाया हैं कि उक्त खसरें में से रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कृषि कार्य में उपयोग न लेकर टीन शेड लगाकर कांच बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जा रहा हैं । उक्त भूमि का उपयोग बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा हैं इसलिये निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत भूमि सिवायचक योग्य होने से खसरा संख्या 453 / 3 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमावें । तहसीलदार लूणी द्वारा पटवारी जांच रिपोर्ट, जमाबन्दी एवं नक्शा भी प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश किया ।

अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी की और से जवाब भी पेश किया गया जो कि इस प्रकार से हैं:–

01. यह हैं कि पद संख्या एक में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार हैं।

02. यह हैं कि पद संख्या दो गलत होने से अस्वीकार हैं । उक्त खसरें में 01–10 बीघा भूमि पर टीन शेड का निर्माण नहीं होकर लगभग 15–16 बिस्वा भूमि पर ही वेयरहाउस निर्मित किया हुआ हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवसायिक गतिविधी संचालित नहीं हो रही हैं बल्कि अप्रार्थी का व्यवसाय बासनी एरिया जोधपुर में स्थित हैं । खसरा संख्या 453 / 3 की भूमि में निर्मित टीनशेड भण्डारण के उपयोग में ली जा रही हैं । तहसीलदार लूणी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न जो पटवारी रिपोर्ट पेश की गयी हैं वह पटवारी हल्का द्वारा मनमाफिक तैयार की जाकर बिना अप्रार्थी की मौजूदगी में एकतरफ रिपोर्ट बनाकर पेश की गयी हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

03. यह हैं कि पद संख्या तीन सही नहीं होने से अस्वीकार हैं । अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 453/3 में निर्मित टीनशेड की भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत् सन् 2016 में ही जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में आवेदन किया जा चुका हैं । तहसीलदार लूणी एवं पटवारी हल्का ने बिना जॉच पड़ताल किये ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 177 राज.काश्त.अधिनियम के तहत वाद पेश कर दिया जबकि स्वयं तहसीलदार लूणी द्वारा ही उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अपनी रिपोर्ट कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में प्रेषित की गयी । अप्रार्थी द्वारा सन् 2016 में किये गये आवेदन बाबत् जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा दिनांक 31.01.2022 को स्वीकार करते हुए गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग में लिये जाने बाबत् आदेश भी जारी जा चुके हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्त.अधिनियम का निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के संलग्न उक्त खसरें को अकृषिक उपयोग हेतु संपरिवर्तन किये जाने का आदेश क्रमांक 10/2016 दिनांक 31.01.2022 भी पेश किया गया ।

बहस सुनी गयी । तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूंकी अप्रार्थी द्वारा गैर कृषिक उपयोग में ली जाने भूमि को अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने बाबत् जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में सन् 2016 में ही आवेदन पेश किया जा चुका था जो कि आवेदन क्रमांक 10/2016 हैं जिसके संबंध में उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से दर्ज करने का आदेश दिनांक 31.01.2022 को जारी किया जा चुका हैं इस कारण से तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रभावहीन प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी राजाराम द्वारा उक्त कृषि भूमि को अकृषिक उपयोग हेतु संपरिवर्तन करवाने हेतु सन् 2016 में सक्षम प्राधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में आवेदन प्रस्तुत करने एवं उक्त कृषि भूमि का अकृषिक उपयोग हेतु दिनांक 31.01.2022 को संपरिवर्तन आदेश जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा जारी करने की स्थिति में प्रभावहीन होने से अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण ड्रोप किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी